निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या बी.61/2018 दावा
दायरा दिनांक :– 26.07.2019
निर्णय दिनांक :–13.09.2021

उनवान

1. जगन्नाथ पुत्र धन्नालाल
2. रघुनाथ पुत्र धन्नालाल
3. नन्दू बाई पुत्री धन्नालाल
4. काली बाई पुत्री धन्नालाल जातिगण माली निवासीगण बडां तहसील बारां जिला बारां राज.

बनाम

1. भैरूलाल पुत्र बिरधीलाल ज़ाति माली
2. मेहनलाल पुत्र बिरधीलाल जाति माली
3. छीतरलाल पुत्र भैरूलाल जाति माली
4. राजू पुत्र भैरूलाल जाति माली निवासीगण बडा तहसील बारां जिला बारां राज.

वाद अन्तर्गत धारा 188, 212 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :–13.09.2021

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री बाबूलाल जैन एडवोकेट – वादी
2 श्री रितेश कुमार एडवोकेट – प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 212 आर. टी. एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया, कि वाके ग्राम बडां तहसील बारां मे खाता संख्या नया 152 पुराना 149 से खसरा नंबर 871 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नंबर 872 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नंबर 873 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नंबर 874 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नंबर 878 रकबा 0.07 हेक्टर कुल 5 किता रकबा 0.19 हेक्टर स्थित है, जो राजस्व कागजात मे वादीगण के नाम दर्ज है, जिस पर प्रार्थीगण / वादीगण काबिज चले आ रहे है। जिसे आगे विक्रय बेचानामा के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:16:38 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण अपनी भूमि पर शांतिपूर्ण तरीके से काबिज काश्त चले आ रहे है, किन्तु अप्रार्थीगण विवादित आराजी पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करना चाहते है, क्योकि अप्रार्थीगण लडाकू व झगडालू किस्म के आदमी है।

दिनांक 15.07.2018 को अप्रार्थीगण अपने कुछ अज्ञात साथीयों के टेक्टर लेकर मोके पर आ गये तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि वह विवादित आराजीयात पर जबरन कब्जा करेगें। इस पर प्रार्थीगण ने कहा कि विवादित आराजी हमारी खातेदारी एवं कब्जे क़ाश्त की है। तुम्है इस पर कब्जा करने का कोई अधिकार नही है। इस पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि चाहे कुछ भी हो जाये हम तुम्हे काश्त नही करने देगें तथा जो हमे रोकेगा उसको जान से मार देगें। बामुश्किल प्रार्थीगण के समझाने से वापस गया, लेकिन एलानियां धमकी दी कि आज नही तो कल वह इस भूमि पर जबरन कब्जा करके रहेगे, जिसका प्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। अस्तु प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के विरूद्ध अविलम्ब अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी एवं नालिशी है, कि अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात व उसके किसी भी हिस्से पर जबरन मदाखलत न स्वयं करे न अपने प्रतिनिधियों से करावे तथा प्रार्थीगण को शांति पूर्वक काश्त करता रहने देवें। अप्रार्थीगण अपने उद्देश्य मे कामयाब हो गये तथा विवादित आराजीयात से प्रार्थीगण को बेदखल कर जबरन कब्जा कर दिया तो प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी एवं अनन्य मुकदमे बाजी मे उलझना पडेगा, जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी रूप मे सम्भव नही हो सकेगी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 152 पेश की गई। तथा प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ–पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान् सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है, कि विवादित आराजी वाके ग्राम बडा मे स्थित है, जो राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के खातेदारी मे दर्ज है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज चले आ रहे है। अप्रार्थीगण विवादित पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करना चाहते है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन बल पूर्वक कब्जा कर लिया जो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नही है। अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है, कि विवादित आराजी प्रार्थी के खातेदारी मे दर्ज है; परन्तु 50 वर्षो से अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे चली आ रही है। विवादित आराजी पैत्रक सम्पत्ति है। प्रतिवादीगण शुरू से काबिज चले आ रहे है। वर्ष 1993 मे समझौता हुआ था। बटवारे का दावा भी चल रहा है। विवादित भूमि पर कब्जा अप्रार्थीगण का है, तो बेदखली की विधिवत सुनवाई होनी चाहिये। विवादित भूमि पर स्टे नही है। अप्रार्थीगण उक्त आराज़ी पर स्वयं काबिज होने से बेदखल होने का सवाल ही नही उठता है। प्रार्थीगण किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:16:38 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

50-60 वर्षो से काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नही रहा है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी वाके ग्राम बडा सम्वत 2073-76 खाता संख्या 152 के अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी मे दर्ज है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजी मे कहीं भी नाम अंकित नही है। अप्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी पर अपना कब्जा काश्त लगभग 50-60 वर्षो से होना बताया है, परन्तु अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया, जिसमे अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त साबित हो सके। विवादित आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी मे दर्ज है। इसलिए अप्रार्थीगण को अर्जी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. स्वीकार
किया जाता है। अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है।
विवादित आराजी वाके ग्राम बडा तहसील बारां के खसरा नंबर 871 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नंबर 872 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नंबर 873 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नंबर 874 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नंबर 878 रकबा 0.07 हेक्टर कुल किता 5 रकबा 0.19 हेक्टर मे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें। प्रार्थीगण को शान्ति पूर्वक काश्त करने दे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
उप खण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:16:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner